तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/8/16	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान् उप० है। प्रतिवादीगण वकील श्री [illegible] ने प्रति० 1,2,3 का जवाब पेश किया [illegible] जवाब पत्रावली दिनांक 4/10/16 को पेश हो।	
4-10-16	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण द्वारा ~~न्यायिक कार्य [illegible]~~ ~~मीटिंग / [illegible]~~ पत्रावली वास्ते पूर्ववत् दिनांक 30-11-16 को पेश हो।	
30/11/16	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान् अनुपस्थित है वास्ते नकल दिनांक 8/2/17 को पेश हो।	
8/2/17	~~पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते कार्यवाही नकल दिनांक 5/4/17 को पेश हो।~~	
5/4/17	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान् उपस्थित है। वादी का देहान्त होने के कारण वादी वकील ने कायम मुकाम का [illegible] किया। प्राप्त। वास्ते जवाब दि० 30/5/17 को पेश हो।	
कानून अनुसार निर्णय करावें	राजस्व लोक अदालत [illegible] न्याय आपके द्वार स्थल दाखियावेड़ी दिनांक 13-6-17	
[illegible] (पुत्र मोतीराम) [illegible] प्रधान हस्ता०	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत मेला दाखियावेड़ी पर पेश हुई। उभय पक्षकारान श्री [illegible] पुलिस द्वारा मृतक वादी के प्रा० पत्र में अंकितानुसार ही कायम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुकाम होना स्वीकार किया। आवेदन प्रा० अ० 0.22 R-3 C.P.C. स्वीकार किया जाकर वादी के कायम मुकामान् को रिकार्ड पर लिया जाता है।	
	पक्षकारों को सुना गया। प्रतिवादीगण ने वादी मोतीलाल को मृतक रामचंद्र का पुत्र होना तथा उनका सगा भाई होना स्वीकार किया। रिकार्ड में नाम नहीं आना भी स्वीकार किया किन्तु मौके पर कब्जा नहीं होने के कथन किये। साथ ही साथ प्रतिवादीगण एवं वादी (मृतक) के पुत्र का कथन है, कि "कानून अनुसार निर्णय करावें"	
	प्रकरण में पक्षकारों द्वारा वादग्रस्त भूमि की पैतृक संपत्ति होना स्वीकार किया और विधि अनुसार विनिश्चय के कथन किये।	
	प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में हम यह कहना उचित समझते हैं, कि वादग्रस्त भूमि की पुश्तैनी तथा वादी को प्रतिवादीगण द्वारा सगा भाई मानना तथा वादग्रस्त भूमि पर वादी का नाम नहीं होना स्वीकार किया गया है। ऐसी सूरत वादी की वादग्रस्त भूमि के संबंध में अभिलिखित खातेदार की हैसियत प्रमाणित होती है।	
	हर सहखातेदार का अपने हिस्से तक हर इंच भूमि पर कब्जा माना जाने की अवधारणा है। ऐसी सूरत में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है (P.T.O.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचार के उपरान्त हम यह पाते हैं, कि वाद वादी खातेदारी घोषणा हक में स्वीकार किये जाने योग्य है। क्योंकि पक्षकारों के सहखातेदारी के अन्य भूमियाँ विभक्त नहीं है, इस बाबत आक्षेप नहीं किया गया है। अतः दावा वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि वादी को ग्राम राईखेड़ा की भूमि खसरा नं० 825 रकबा 1.25 है० का सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पर हिस्सा 3/4 में प्रति० नं. 1 व 3 तथा हि० 1/4 में वादी (जरिये कायम मुकाम) का नाम दर्ज हो। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। रिकार्ड में अमल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा० द० हो। निर्णय आज दि० 13.6.17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कैम्प हथियाखेड़ी पर सुनाया गया। (चिन्मयी गोपाल) I.A.S.	

Scanned by CamScanner